<u>कार्यालयः—प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)</u>

।। <u>विज्ञापन</u> ।।

क्रमांक 364/दो—11—2/2023 **दुर्ग दिनांक 07.07.2023**

<u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.07.2023 संध्या 5.00 बजे तक</u>
<u>(अवकाश के दिन भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।)</u>

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड—3, वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य/फर्राश के पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैंः—

<u>रिक्त पदों का विवरण</u>

क्र	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	पदों का आरक्षण विवरण															
			अनुसूचित जन जाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सहायक ग्रेड—3	**7**	**1**	0	0	0	**1**	0	0	0	**1**	0	0	0	**3**	**1**	0	0
2	वाहन चालक	**3**	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	**2**	0	0	0
3	आदेशिका वाहक	**3**	0	0	0	0	**1**	0	0	0	**1**	0	0	0	**1**	0	0	0
4	भृत्य/फर्राश	**8**	**1**	0	0	0	**1**	0	0	0	**1**	0	0	0	**4**	**1**	0	0
	योग	**21**	**2**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**10**	**2**	**0**	**0**

<u>महत्वपूर्ण टीपः—</u>

1. पदों की संख्या में किसी भी समय कमी अथवा वृध्दि की जा सकती है।
2. जिस श्रेणी के उम्मीद्वारों में महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद आरक्षित है, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीद्वार नहीं पाये जाते हैं, तो उस श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जायेगा ।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित हैं । अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किये जाएगें ।
4. महिलाओं के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये ही लागू है ।
5. **भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।**

<u>भर्ती की पात्रता एवं शर्तें</u>

1. **सहायक ग्रेड–3 के पद के लिए–**

अ– छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 (रू. 19500–62000)

ब– **<u>शैक्षणिक योग्यता</u>**–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम **40** प्रतिशत एवं अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम **45** प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट/ कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।
3. अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग की गति 5,000 की–डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा होनी चाहिए। (गति/कम्प्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।)

2. **वाहन चालक के पद के लिए–**

अ– छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 (रू. 19500–62000)

ब– **<u>शैक्षणिक योग्यता</u>**–

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से कक्षा आठवी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
2. अभ्यर्थी के पास हल्के वाहन चलाने (LMV) का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। (प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।)

नोट :– शासकीय/अर्ध्द शासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत् अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी। (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

3. **आदेशिका वाहक के पद के लिए–**

अ– छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–3 (रू. 18000–56900)

ब– **<u>शैक्षणिक योग्यता</u>**–

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य।

नोट :–. सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

4. **भृत्य/फर्राश के पद के लिए–**

अ– छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–1 (रू. 15600–49400)

ब– **<u>शैक्षणिक योग्यता</u>**–

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से कक्षा पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

नोट :– 1. 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. ड्राईवर, कुक, माली इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई एवं प्लंबर एवं अन्य कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी/संस्था का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, यदि प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरूध्द वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

<u>आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते</u>

(1) रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(2) (अ) कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(ब) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(3) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे ने दिनांक 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए **पांचवी/आठवीं/<u>हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा</u>** के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगा। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) उच्चतम आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगीः—

4 (एक)(1) — यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

4 (एक) (2) — यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ—7—25—93/1 आ.प्र.दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए।

4 (एक) (3) — छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेंगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

4 (एक) (4) — ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात हो, अपनी आयु में अधिक से अधिक 7 अधिक बार की गई किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :— *छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।*

4 (एक) (5) —ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4 (एक) (6) — महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

4 (एक) (7) —— सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ—1—2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

4 (एक) (8) – स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4 (एक) (9) – विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

4 (दो) (1) – आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत को सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 29.06.1985 के सन्दर्भ में छूट दी जाएगी। वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय पुरस्कृत दम्पत्तियो के संवर्ण सहभागी ज्ञापन क्रमांक सी 3/10/85/3/1 अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की

4 (दो) (2) – विक्रम पुरस्कार सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्टीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 19–2/2005/1–3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

4 (दो) (3) – उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 6–10/2004/1–9 दिनांक 06.07.2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

टीप :– (1) बिन्दु क्रमांक 4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 4 (दो) 2 के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोईआवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक)में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित–जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जावेगी।

(5) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जावेगी।

(6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित हैं । मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, **अनारक्षित श्रेणी** के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूध्द ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरूध्द नहीं। महिलाओं के लिये आरक्षित पदों पर केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थी को ही विचारित किया जावेगा।

(7) महिलाओं को नियमानुसार होरिजोंटल आरक्षण दिया जावेगा। लेकिन किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(8) यदि अभ्यर्थी कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

(9) चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 372/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों की निम्नानुसार स्टाईपेंड देय होगा।

प्रथम वर्ष– पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष–पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष– पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

किन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ–साथ अन्य भत्ते, कार्यरत् अन्य शासकीय कर्मियों की तरह प्राप्त होगें। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण न होने पर उसे आगे केवल एक वर्ष के लिए बढ़ावा जा सकेगा। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

(10) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगें, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी ।

(11) जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी/सब कमेटी द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार छंटाई के पश्चात् आवेदकों को रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/durg पर अपलोड की जाएगी तथा अपलोड किए जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से दी जावेगी। जिला न्यायालय, दुर्ग के सूचना बोर्ड पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जाएगी तथा वेबसाईट में भी दी जावेगी। उम्मीदवार वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगें। **प्राप्त आवेदनपत्रों की छंटाई (Short-listing) की प्रकिया एवं मापदण्ड भर्ती कमेटी/सब कमेटी द्वारा वर्णित किया जावेगा, जो अंतिम होगा।**

(12) यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलम्ब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय की जिम्मदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और उक्त वेबसाईट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

(13) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(14) कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(15) अभ्यर्थीयों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा में शामिल करने हेतु आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग की जावेगी, जिसका मापदण्ड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित भर्ती कमेटी/सब कमेटी तय करेगी।

(16) अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

<u>आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 07.07.2023 से 31.07.2023 के प्रातः 11.00 बजे से लेकर संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे** में जिस पर स्पष्ट रूप से **<u>आवेदित पद का नाम</u>** एवं **<u>आवेदक का वर्ग</u>** लिखा हो, **प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग के कार्यालय में रखे गये <u>ड्राप बॉक्स में डालकर</u> प्रस्तुत करेंगें। दिनांक 31.07.2023 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।** आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी, दिव्यांगता आदि से

संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा । आवेदन पत्र की प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/durg से डाउनलोड की जा सकती है । निर्धारित प्रारूप से भित्र प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।

2. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा पांचवी/आठवीं/हाई–स्कूल/हायर–सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

3. ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा।

4. अभ्यर्थी, आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेंवें, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

5. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय अभ्यर्थी को ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध मे दी गयी जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया की किसी भ प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य कि ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे बिना जांच के सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

6. प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।

7. **ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जावेगा।**

8. **विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।**

<u>चयन प्रक्रिया</u>

सहायक ग्रेड–3 के रिक्त पदों हेतु–

1. सहायक ग्रेड–3 के रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर दसवीं, बारहवीं एवं स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 30 गुना परीक्षार्थीयों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

2. कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र **(Admit Card)** जिला न्यायालय, दुर्ग की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/durg** में अपलोड किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र **(Admit Card)** डाउनलोड कर पहचान पत्र **(ID Proof)** यथा ड्राईविंग–लाईसेंस/ वोटर–आईडी/आधार–कार्ड/पैनकार्ड/स्मार्टकार्ड सहित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे तथा पृथक से सूचना नहीं भेजी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।

3. **उपरोक्त उल्लेखित पदों के चयन हेतु कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार की जाएगी** और उक्त सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्राविण्य सूची के साथ ही प्रतिक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी और अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतिक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

4. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1–7 दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।

5. **कौशल परीक्षा में** समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, <u>**जन्मतिथि भी समान होने पर स्नातक परीक्षा**</u> में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि स्नातक परीक्षा में भी समान अंक हो जाते हैं वैसी स्थिति में चयन समिति अन्य आधारों पर विचार कर निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी।

6. सर्वप्रथम अनंतिम चयन सूची/प्रतिक्षा सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी, सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय, दुर्ग की वेबसाईट एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा।

चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो तो चयन सूची से प्रकाशन के **05 दिवस** के भीतर इस कार्यालय के ई–मेल एड्रेस **familycourt-durg.cg@gov.in** में प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

7. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

8. **चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।**

9. चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूध्द कोई आपाराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं हैं तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिध्द नहीं किया गया है। चयनित उम्मीद्वार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा। शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ्यता या दोष जो पद या सेवा के कर्तव्य पालन में बाधा डालने वाला हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

10. भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

11. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

12. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

13. चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी साथ ही संबंधित के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

वाहन चालक के पद हेतु– इस पद भर्ती हेतु अभ्यर्थी से वाहन परिचालन का परीक्षण लिया जावेगा।

वाहन परिचालन में प्रयोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा हेतु पूर्णांक 50 अंक रहेंगे।

नोटः– वाहन चालक के रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर **अनुभव** के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 30 गुना परीक्षार्थीयों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

आदेशिका वाहक के पद हेतु– आदेशिका वाहक के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसकी सूचना जिला न्यायालय दुर्ग की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/durg में अपलोड किया जाएगा।

नोटः– आदेशिका वाहक के पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या चयन प्रक्रिया में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा 5वीं /8वीं के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के 30 गुना के सीमा के अधीन आवेदकों की छंटनी की जा सकेगी।

भृत्य /फर्राश के पद हेतु चयन प्रकिया :– कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार

1. भृत्य/फर्राश के पद के चयन हेतु कौशल परीक्षा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग छ.ग. द्वारा गठित कमेटी या सब कमेटी द्वारा आयोजित की जा सकेगी।

2. भृत्य के पदों पर चयन हेतु 50 अंको की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जावेगी जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौध्दिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य कुशलता इत्यादि बिन्दूओं पर परखा जायेगा।

3. कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/ साक्षात्कार हेतु परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र **(Admit Card)** जिला न्यायालय, दुर्ग की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/durg** में अपलोड किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र **(Admit Card)** डाउनलोड कर पहचान पत्र **(ID Proof)** यथा ड्राईविंग–लाईसेंस/ वोटर–आईडी/आधार–कार्ड/पैनकार्ड/स्मार्टकार्ड सहित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे तथा पृथक से सूचना नहीं भेजी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/ साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।

4. उपरोक्त उल्लेखित पदों के चयन हेतु कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/ साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार की जाएगी और उक्त सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्राविण्य सूची के साथ ही प्रतिक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी और अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतिक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1–7 दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।

6. अभ्यर्थियों के चयन का आधार कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार के प्राप्तांक रहेंगे जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, **जन्मतिथि भी समान होने पर पांचवी परीक्षा** में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि पांचवी परीक्षा में भी समान अंक हो जाते हैं वैसी स्थिति में चयन समिति अन्य आधारों पर विचार कर निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी।

7. भृत्य/फर्राश के रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर **अनुभव** के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 20 गुना परीक्षार्थीयों को कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

8. सर्वप्रथम अनंतिम चयन सूची/प्रतिक्षा सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी, सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय, दुर्ग की वेबसाईट एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा। चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो तो चयन सूची से प्रकाशन के **05 दिवस** के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

9. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग को होगा ।

10. **चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।**

11. चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूध्द कोई आपाराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं हैं तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिध्द नहीं किया गया है। चयनित उम्मीद्वार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वस्थता (**Fitness**) का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा। शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ्यता या दोष जो पद या सेवा के कर्तव्य पालन में बाधा डालने वाला हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

12. भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

13. **भृत्य/फर्राश पद पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।**

14. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

13. चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी साथ ही संबंधित के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

(1) सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु–

कौशल परीक्षा

उम्मीद्वारों को लगभग 250 शब्द के हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्वता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये **1/2** अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्वि के लिये भी होगा।

कौशल परीक्षा 250 अंक

(2) वाहन चालक के पद हेतु– इस पद भर्ती हेतु अभ्यर्थी से वाहन परिचालन का परीक्षण लिया जावेगा।

वाहन परिचालन में प्रयोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा हेतु पूर्णांक 50 अंक रहेंगे।

नोटः– वाहन चालक के रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर **अनुभव** के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 30 गुना परीक्षार्थीयों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(3) आदेशिका वाहक के पद हेतु– आदेशिका वाहक के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसकी सूचना जिला न्यायालय दुर्ग की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/durg में अपलोड किया जाएगा।

(4) भृत्य/फर्राश पद हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर, अभ्यर्थियों की चयन निम्नलिखित प्रकिया के तहत किया जावेगा :–

कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार 50 अंक

भृत्य के पदों पर चयन हेतु 50 अंको की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जावेगी जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौध्दिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य कुशलता इत्यादि बिन्दूओं पर परखा जायेगा।

अन्य महत्वपूर्ण टीप–

01. **अवकाश के दिन भी कार्यालय में रखे गये ड्राप बॉक्स में आवेदन डाले जा सकते हैं।**

02. **किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (TA/DA) नहीं दिया जाएगा।**

03. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगें, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी ।

04. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् ''सूचना के अधिकार अधिनियम'' के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरिक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

स्थान–दुर्ग
दिनांक. 07.07.2023

अध्यक्ष
भर्ती/चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

<u>(सहायक ग्रेड–3 / वाहन चालक / आदेशिक वाहक / भृत्य / फर्राश)</u>

(जिस पद के लिए आवेदन करें उसे चिन्हिंत करें, प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करें)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो चस्पा करें।

प्रति,

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम : ....

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम (In English Capital Letters) : ....

4. लिंग पुरूष संकेतक–1, महिला संकेतक–2, तृतीय लिंग–3 [ ]

5. पिता / पति का नाम : ....

6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में) : ....

शब्दों में : ....

(ब) दिनांक 01.01.2023 को आयु : .... वर्ष.....................माह...............दिन

7. क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हॉ / नहीं [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

8. क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां / नहीं [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

9. सामान्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें । :..

10. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग / निःशक्तजन है? हां / नहीं [ ]
(यदि हां, तो जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

11. यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :..

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हां / नहीं [ ]
(यदि हां, तो सक्षक प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

13. भृत्य / फर्राश के पद हेतु पांचवी / आठवीं परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत :..

14. दसवीं परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत :...

15. बाहरवीं परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत :...

16. स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत : ....

17. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन (यदि हो तो) : ....

18. राष्ट्रीयता : ....

19. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....
: ....
: ....
: ....

(ब)स्थाई पता (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो तो तदैव लिखें) : ....
: ....
: ....

20. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक : ....

एवं दिनांक (यदि हो तो) : ....

21. रोजगार कार्यालय का नाम : ....

22. क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं ? हां/नहीं : ....

23. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि : ....

24. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता (प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें):—

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

25. **कार्यानुभव विवरण** (प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति यदि कोई हो संलग्न करें):—

क्र.	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल वर्ष	रिमार्क
1					
2					

26. क्या अभ्यर्थी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हॉ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

27. यदि अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो : ....
या किसी न्यायालय द्वारा दोषसिध्द किया गया हो तो
उसका विवरण

28. अभ्यर्थी का मोबाईल नंबर : ....

29. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः–

1.	....	2.	....
3.	....	4.	....
5.	....	6.	....
7.	....	8.	....

टीपः– स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किये जावेंगे।
बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये मिथ्या पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

स्थान

दिनांक

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता